Category: Appointment; polity

Justice V. Ramasubramanian becomes NHRC Chairperson

Justice V. Ramasubramanian, a judge of the apex court of India, has joined the list of NHRC chairpersons as the **9th chairperson of the commission.** He will **hold the position for three years**, by the end of December 2027. Previously, NHRC's chairman, Justice Arun Mishra, left his post by June 1, 2024. After this, the commission was operational with the Acting Chairperson Vijaya Bharati Sayani.

Justice Ramasubramanian's Judicial Career:

- He left as a Supreme Court judge with more than three years in the position before he stepped down on June 29, 2023.
- He was involved mainly in this case Concerning the **demonetization scheme** by the Centre & quashing **RBI's cryptocurrency circular.**
- He started his legal practice in 1983, and also as Judge of various High Courts at Madras, Telangana, Andhra Pradesh and Himachal Pradesh.

Notable Previous Chairpersons: The NHRC has been chaired by former Chief Justices of India such as Ranganath Mishra, M N Venkatachaliah, J S Verma, A S Anand S Rajendra Babu K.G Balakrishnan and H L Dattu.

About National Human Rights Commission (NHRC):

Established:

- **Founded on the 12th October 1993** under the Protection of Human Right Act of 1993 (PHRA).

- Established in 1991 in terms of the **Paris Principles** these were ratified by the **United Nations General Assembly in 1993.**
- Statutory: A body which has been set up pursuant to the provisions of the PHRA Act, 1993.

Aim:
To foster and defend human rights as described under Section 2 1(d) of PHRA that INCLUDES the constitutions provision on rights to life, Liberty, equality and Dignity.

Composition:

- **Chairperson:**
  - A person qualified as a judge of the Supreme Court of India, and who has been the Chief Justice of India.
- **Members:**
  - One Ex or serving Supreme Court judge.
  - One person who is an ex or present Chief Justice of a High Court.
  - Three members, one of such members being a woman who has served in a human rights career.
  - Ex-Officio Members: Foremost officials in several national commissions, including the SC/ST, Women, Minorities, etc., and the Chief Commissioner for Disabled persons.

Amendment to Protection of Human Rights Act: Before 2019, the chairpersons of the NHRC can only be former Chief Justices of India. But in 2019 there have been some changes in the Protection of Human Rights Act which permits **A retired Supreme Court judge to be a part also**.

Functions and Powers:

- **Inquiry:** Enquiring into breaches of human rights mainly by a servant or as a result of a failure.
- **Recommendations:** Writing recommendations: Preventing and fostering violations of human rights.
- **Review of Laws**: Evaluations of the human rights treaties and other international documents.
- **Research and Awareness:** Fostering human rights research, production of publications, and raising awareness on the same.
- **Inspection:** Pay courtesy visits to formations like jails and places of detention to ensure compliance with human rights.

Conclusion

The NHRC has very important functions in the areas of enforcement of human rights in India. Among its roles is to carry out probes into violations, advocate for change and Calder educate the public. Justice V. Ramasubramanian who was appointed as a new Chairperson will be considered as a turning point into the future of the commission. Justice Ramasubramanian's

long- standing in the judicial system will help NHRC transform into a more powerful human rights watchdog organisation across the nation embarking on the principles of his predecessors.

Category: National

Shyam Benegal, the Indian filmmaker, passes on at the age of 90.

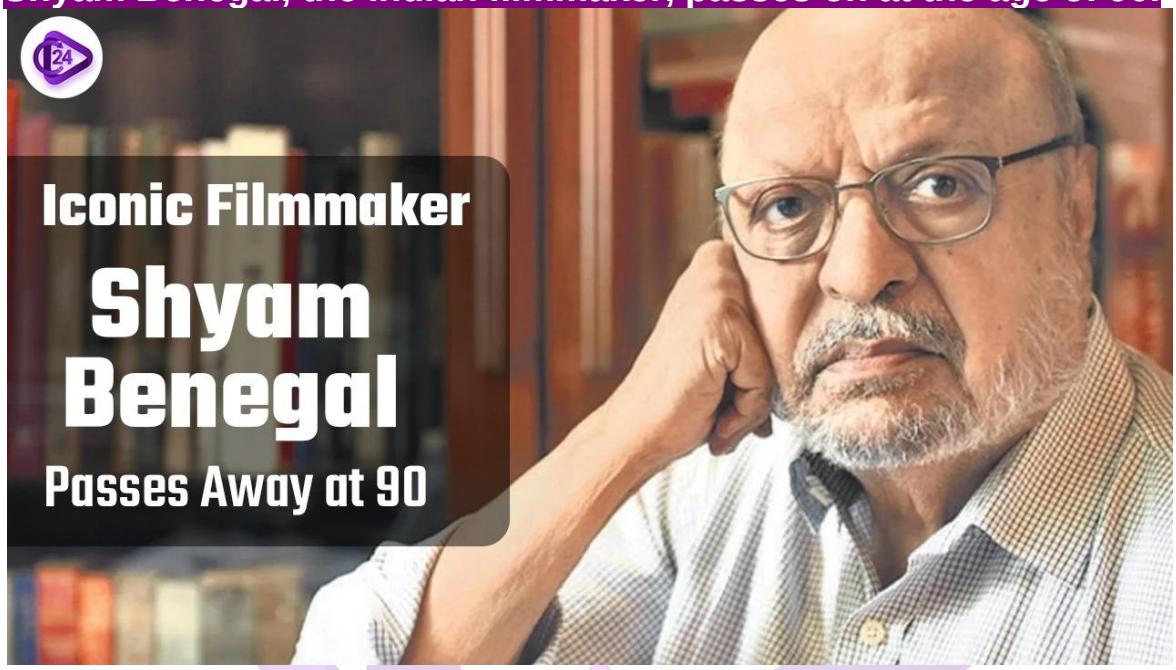

Shyam Benegal, born in December 1934, was one of the **first directors of the parallel cinema movement Indian filmmakers of the 70s and 80s**. His films are quite realistic and full of social messages, which are different from regular Bollywood movies. He acted in over 900 documentaries and advertising films that shaped Benegal as a filmmaker. Some of his **famous films are 'Ankur' (1973), 'Nishant' (1975), 'Bhumika' (1977), 'Junoon' (1978), 'Mandi' (1983), and 'Mammo' (1994).** He also gave immensely to Indian television with the production, **'Bharat Ek Khoj' and 'Samvidhaan'**. Between 1980 and 1986, he was the director of National Film Development Corporation of India NFDC which helped chart the course of Indian cinema in the future. The lost works which focused on political and social goals remain a powerful impact in Indian film. He died on the 14th of December 2024 at the age of 90.

Birth and Early Life:

He was **born in Hyderabad** in southern India in December, 1934. In his childhood he was fond of cinema, which became a determinant factor to perform the functions of a filmmaker. His father Shri Sridhar B. Benegal was a photographer and the director. He was also the second cousin, of the legendary film maker, Guru Dutt .

Notable Works:

- Benegal is not only creative but realistic his career spanned many years making remarkable films.
- His works include **'Bhumika', 'Junoon', 'Mandi', 'Suraj Ka Satvaan Ghoda', 'Mammo' and 'Sardari Begum'.**
- His most recent film was the 2023 biographical drama **'Mujib: The Making of a Nation'.**

- Born a copywriter, Benegal made his first documentary in 1962 and then graduated to feature films.
- His first presented movies are **'Ankur' (1973), 'Nishant' (1975), 'Manthan' (1976) and 'Bhumika' (1977)** which have been discussed as masterpieces of Indian cinema.
- Contributions to Television: Apart from his films, Benegal also contributed to teleshow in India with wonderful **serials "Bharat Ek Khoj" and "Samvidhaan".**

Leadership Role:

He was also the **Director at National Film Development Corporation NFDC between 1980 and 1986** during the crucial phase of constructing Indian cinema.
A great lover of cinema, Benegal was one of the **founding members of the Hyderabad Film Society** – which helped introduce cinema, as art, to the region and brought in premier world films to India.

Legacy:

Essentials of Benegal also touched political satire and other social issues along with the general focus on human relationships. Perhaps his greatest and most well-known work is the **1983 film 'Mandi' a satirical expose of politics** and the flesh trade in India. **'Trikal**' another Aravind's movie truly reflects unique style of narration and depicts Goa in its last phase of being a Portuguese colony.

Conclusion

Shyam Benegal has passed away, the epitome and the last of a generation in Indian cinema has left us. Being one of the pioneers of the Indian motion picture industry, he introduced those distinctive features there, which have come to be associated with the film industry namely realism and social themes. His works are stories, politics, and emotions, which will not leave generations indifferent and will always be interesting to watch. In that regard, the great Benegal leaves behind the well-defined position as the man who built Indian parallel cinema.

Category: Education

Centre scraps “no-detention policy” for 5th and 8th

The Central Government has recently changed the Right to Education (Rte act 2009) where no-detention policy for classes 5th and 8th will no more be imposed to retain failed Students. This replace was within the December 2024 gazette after doing away with modifications from 2019 that allowed detention based mostly on efficiency. That is why the NEP, which was initially designed for the fighting dropouts policy and promotion guarantees, has been criticized for the prevalence of low learning results and school irresponsibility. The new assessment policies will see students who fail, complete some more teaching and also sit another exam. The policy change is in congruence with National Education Policy (NEP) 2020 to enhance the standard of education.

Changes in Right to Education Act – No Detention Policy Removal

- **Amendment to RTE Act:** Earlier this year, the central government modified the Right to Education (RTE) Act 2009 by abolishing the no detensions policy (NDP) of schools which come under this act including Kendriya Vidyalayas, Jawahar Navodaya Vidyalayas, and schools affiliated to the Ministry of Defence and Tribal Affairs.
- **Policy Change:** The Centre has also done away with the earlier issued “no-detention” policy for Classes 5 and 8, which meant that students could be held back if they fail end-term examinations.
- **Gazette Notification:** The Ministry of Education through a gazette number on the 16 th December 2024 gazetted the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2024.

What is this No-Detention Policy?

- The NDP, which was envisioned in the Section 16 of the RTE Act, 2009, banned the detention of students up to Class 8 to guarantee ME for every child.
- The policy sought to make school progression automatic in order to stop children from dropping out of school.

Key Points:

- **Re-examination Opportunity:** To unsuccessful pupils, the teacher will conduct further lessons for the group and provide them with a chance for a retake after two months. In case they do not succeed, they will be retained an extra year in school.
- **Teacher and Parental Guidance:** Those.students will get assistance from a class teacher and or parents while the students will have to trace their deficiencies through various tests administered.
- At present, 14 states and Union Territories continue to implement NDP.

Reasons for Removal:

- **Declining Learning Outcomes:** As a pulic policy, it encouraged students to pay less seriousness to their studies, in the real sense knowing well that they could easily be promoted to the next class regardless.
- **Accountability Issues:** Appeasing the HRD Ministry, schools did not accord strong enough emphasis towards enhancing learning results.
- **States Demand:** A number of states asserted the need for displacement of the NDP in an effort to enhance quality and a–cent accountability in elementary education.
- **National Education Policy Alignment:** It is synchronized with the National Education Policy (NEP) 2020, which comes with stress on better learning standards.

Conclusion:

The change policy is good for India education system as it seeks to make the system more responsible and centre on purpose of educating learners. It will all depend on supporting measures and conditions required to help endangered students.

Category: Science and Tech

Mission Mausam – Building Weather and Climate Intelligence for India

Mission Mausam under Modi Government 3.0 launched by Ministry of Earth Sciences focuses on improving the handling of various problems associated with weather as well as climate. A Centred Scheme for two years approved in September 2024 for ₹2,000 crore aims at enhancing weather forecasting and climate services across sectors, particularly in agriculture, disaster management, and rural India. In line with mission objectives, it wants **to transform India into a 'Weather Ready' and 'Climate Smart' country** and would incorporate technologically enhanced high-date range models and supercomputing systems to bring more specific and timely forecasts.

Prominent organizations involved in the initiative are India Meteorological Department (IMD), the National Centre for Medium-Range Weather Forecasting (NCMRWF), and the Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), with support from allied bodies such as INCOIS and NIOT. There are also international partnerships involved to establish India as a premier knowledge partner in weather and climate studies.

Overview:

- The Union Cabinet cleared Mission Mausam on September 11, 2024, for improving the Indian weather and climate services.
- It also has ₹2,000 crore worth of funding for two years, under the Ministry of Earth Sciences (MoES).

Key Objectives:

- See more of **enhancing forecasting** for various time horizons (short-term, medium-term, seasonal).
- Improve the forecast in the monsoon period based on the models with high resolution.
- Enhance observational networks with the help of advanced technology
- **Focus on the Northeast,** for example, attacking upcoming floods and landslides effectively with specific types of weather systems and pinned point forecasts.

Challenges

- Geographical diversities mean that different regions have different model needs.
- Two factors test predictions: these include fast climate change.
- Lack of infrastructure in the rural centers and low levels of awareness among the people.

Conclusion

According to the paper, Mission Mausam is an important prerequisite to enhance the climate resilience of India. Using the technology and integrated approach, it seeks to reduce the impacts of climate change, improve the prediction, and overall increase disaster management thus helping in the provision of a new improved climate-smart future.

Hindi

श्रेणी: नियुक्ति; राजनीति

न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम एनएचआरसी अध्यक्ष बने

भारत के शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम एनएचआरसी अध्यक्षों की सूची में शामिल हो गए हैं। **आयोग के 9वें अध्यक्ष.** वह करेगा **तीन साल तक पद पर रहें**, दिसंबर 2027 के अंत तक। इससे पहले, NHRC के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने 1 जून, 2024 तक अपना पद छोड़ दिया था। इसके बाद, आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी के साथ कार्यरत था।

जस्टिस रामसुब्रमण्यम का न्यायिक करियर:

- 29 जून, 2023 को पद छोड़ने से पहले उन्होंने तीन साल से अधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद छोड़ा।
- वह इस मामले से संबंधित मुख्य रूप से शामिल थे **विमुद्रीकरण योजना** केंद्र द्वारा और रद्द करना **RBI का क्रिप्टोकरेंसी सर्कुलर.**
- उन्होंने 1983 में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की और मद्रास, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में भी काम किया।

उल्लेखनीय पिछले अध्यक्ष: NHRC की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों जैसे रंगनाथ मिश्रा, एम एन वेंकटचलैया, जे एस वर्मा, ए एस आनंद, एस राजेंद्र बाबू के जी बालाकृष्णन और एच एल दत्तू ने की है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के बारे में:

स्थापित:

- **12 अक्टूबर 1993 को स्थापित** मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (पीएचआरए) के तहत।

- के संदर्भ में 1991 में स्थापित किया गया **पेरिस सिद्धांत** इनका अनुमोदन किया गया **1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा.**
- वैधानिक: एक निकाय जिसे PHRA अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है।

उद्देश्य:

पीएचआरए की धारा 2 1(डी) के तहत वर्णित मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकारों पर संविधान का प्रावधान शामिल है।

संघटन:

- **अध्यक्ष:**
  - एक व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य है, और जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा है।
- **सदस्य:**
  - एक पूर्व या सेवारत सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश।
  - एक व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का पूर्व या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है।
  - तीन सदस्य, ऐसे सदस्यों में से एक महिला है जिसने मानवाधिकार करियर में सेवा की है।
  - पदेन सदस्य: एससी/एसटी, महिला, अल्पसंख्यक आदि सहित कई राष्ट्रीय आयोगों में अग्रणी अधिकारी और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन: 2019 से पहले, NHRC के अध्यक्ष केवल भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही हो सकते हैं। लेकिन 2019 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुछ बदलाव किए गए हैं जो अनुमति देते हैं **सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी होंगे शामिल**.

कार्य और शक्तियाँ:

- **जाँच करना:** मुख्य रूप से नौकर द्वारा या विफलता के परिणामस्वरूप मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना।
- **सिफ़ारिशें:** लेखन अनुशंसाएँ: मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना और बढ़ावा देना।
- **कानूनों की समीक्षा**: मानवाधिकार संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का मूल्यांकन।
- **अनुसंधान और जागरूकता:** मानवाधिकार अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्रकाशनों का उत्पादन करना और उस पर जागरूकता बढ़ाना।
- **निरीक्षण:** मानवाधिकारों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जेलों और हिरासत के स्थानों जैसी संरचनाओं का शिष्टाचार दौरा करें।

निष्कर्ष

भारत में मानवाधिकारों के प्रवर्तन के क्षेत्रों में NHRC के बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसकी भूमिकाओं में उल्लंघनों की जांच करना, बदलाव की वकालत करना और काल्डर द्वारा जनता को शिक्षित करना शामिल है। न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाना आयोग के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाएगा। न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम की न्यायिक प्रणाली में लंबे समय तक रहने से एनएचआरसी को अपने पूर्ववर्तियों के सिद्धांतों पर चलते हुए देश भर में एक अधिक शक्तिशाली मानवाधिकार निगरानी संगठन में बदलने में मदद मिलेगी।

श्रेणी: राष्ट्रीय

भारतीय फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

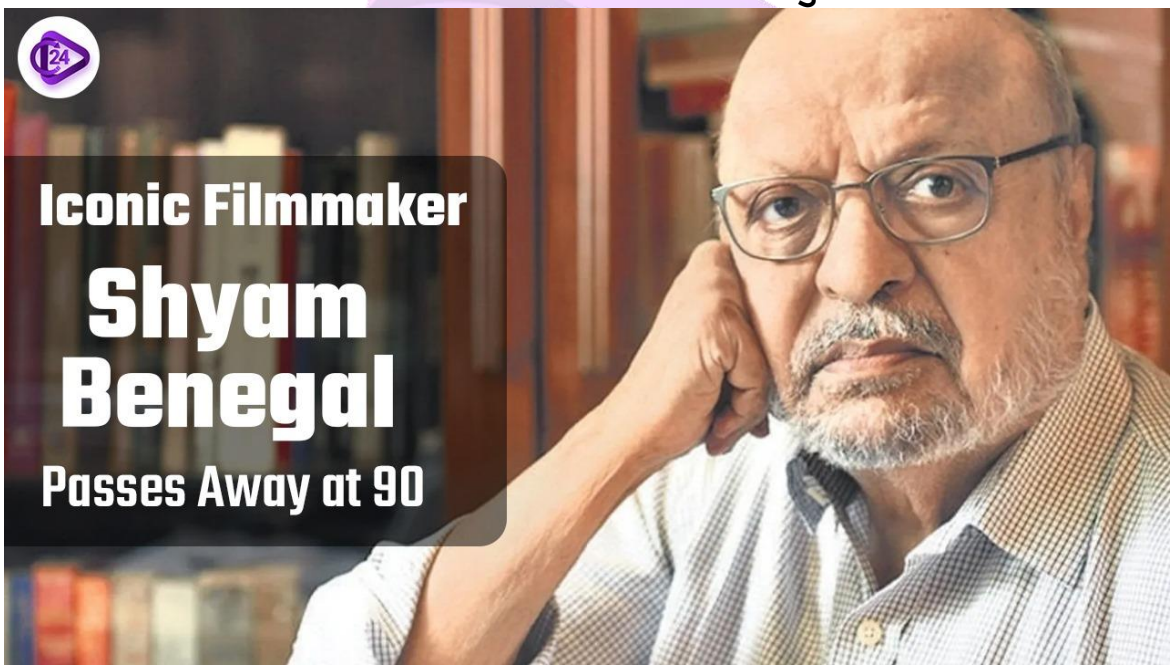

दिसंबर 1934 में जन्मे श्याम बेनेगल उनमें से एक थे **70 और 80 के दशक के समानांतर सिनेमा आंदोलन के पहले भारतीय फिल्म निर्माता**. उनकी फिल्में काफी यथार्थवादी और सामाजिक संदेशों से भरपूर होती हैं, जो आम बॉलीवुड फिल्मों से अलग होती हैं। उन्होंने 900 से अधिक वृत्तचित्रों और विज्ञापन फिल्मों में अभिनय किया जिसने बेनेगल को एक फिल्म निर्माता के रूप में आकार दिया। उसके कुछ **famous films are 'Ankur' (1973), 'Nishant' (1975), 'Bhumika' (1977), 'Junoon' (1978), 'Mandi' (1983), and 'Mammo' (1994).** उन्होंने प्रोडक्शन के साथ-साथ भारतीय टेलीविजन को भी बहुत कुछ दिया। **'Bharat Ek Khoj' and 'Samvidhaan'**. 1980 और 1986 के बीच, वह भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) के निदेशक थे, जिसने भविष्य में भारतीय सिनेमा की दिशा तय करने में मदद की। राजनीतिक और सामाजिक लक्ष्यों पर केंद्रित

खोए हुए काम भारतीय फिल्म में एक शक्तिशाली प्रभाव बने हुए हैं। 14 दिसंबर 2024 को 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

जन्म और प्रारंभिक जीवन:

वह था **हैदराबाद में पैदा हुए** दिसंबर, 1934 में दक्षिण भारत में। बचपन में उन्हें सिनेमा का शौक था, जो एक फिल्म निर्माता के रूप में कार्य करने के लिए एक निर्धारक कारक बन गया। उनके पिता श्री श्रीधर बी. बेनेगल एक फोटोग्राफर और निर्देशक थे। वह महान फिल्म निर्माता गुरु दत्त के दूसरे चचेरे भाई भी थे।

उल्लेखनीय कार्य:

- बेनेगल न केवल रचनात्मक हैं, बल्कि यथार्थवादी भी हैं, उनका करियर कई वर्षों तक उल्लेखनीय फिल्में बनाता रहा।
- उनके कार्यों में शामिल हैं **'भूमिका', 'जुनून', 'मंडी', 'सूरज का सातवां घोड़ा', 'मम्मो' और 'सरदारी बेगम'।**
- उनकी सबसे हालिया फिल्म 2023 की जीवनी पर आधारित ड्रामा थी **'मुजीब: द मेकिंग ऑफ ए नेशन'।**

- एक कॉपीराइटर के रूप में जन्मे बेनेगल ने 1962 में अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई और फिर फीचर फिल्मों में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
- उनकी पहली प्रस्तुत फिल्में हैं **'Ankur' (1973), 'Nishant' (1975), 'Manthan' (1976) and 'Bhumika' (1977)** जिनकी चर्चा भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट कृतियों के रूप में की गई है।
- टेलीविजन में योगदान: बेनेगल ने अपनी फिल्मों के अलावा भारत में टेलीशो में भी अद्भुत योगदान दिया **serials "Bharat Ek Khoj" and "Samvidhaan".**

नेतृत्व की भूमिका:

वह भी थे **1980 और 1986 के बीच राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) में निदेशक** भारतीय सिनेमा के निर्माण के महत्वपूर्ण चरण के दौरान।
सिनेमा के महान प्रेमी बेनेगल उनमें से एक थे **हैदराबाद फिल्म सोसाइटी के संस्थापक सदस्य** - जिसने इस क्षेत्र में कला के रूप में सिनेमा को पेश करने में मदद की और प्रमुख विश्व फिल्मों को भारत में लाया।

परंपरा:

बेनेगल की अनिवार्यताओं ने मानवीय रिश्तों पर सामान्य फोकस के साथ-साथ राजनीतिक व्यंग्य और अन्य सामाजिक मुद्दों को भी छुआ। शायद उनका सबसे महान और सबसे प्रसिद्ध काम है **1983 में आई फिल्म 'मंडी' राजनीति पर व्यंग्यात्मक खुलासा करती है** और भारत में देह व्यापार। **'Trikal**'अरविंद की एक और फिल्म वास्तव में वर्णन की अनूठी शैली को दर्शाती है और गोवा को पुर्तगाली उपनिवेश होने के अंतिम चरण में दर्शाती है।

निष्कर्ष

श्याम बेनेगल का निधन हो गया है, भारतीय सिनेमा की एक पीढ़ी के प्रतीक और आखिरी व्यक्ति ने हमें छोड़ दिया है। भारतीय मोशन पिक्चर उद्योग के अग्रदूतों में से एक होने के नाते, उन्होंने वहां उन विशिष्ट विशेषताओं को पेश किया, जो यथार्थवाद और सामाजिक विषयों जैसे फिल्म उद्योग से जुड़ी हुई हैं। उनकी कृतियाँ कहानियाँ, राजनीति और भावनाएँ हैं, जो पीढ़ियों को उदासीन नहीं छोड़ेंगी और देखना हमेशा दिलचस्प रहेगा। इस संबंध में, महान बेनेगल ने भारतीय समानांतर सिनेमा का निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी सुस्पष्ट स्थिति को पीछे छोड़ दिया है।

श्रेणी: शिक्षा

केंद्र ने 5वीं और 8वीं के लिए "नो-डिटेंशन पॉलिसी" खत्म की

केंद्र सरकार ने हाल ही में शिक्षा का अधिकार (आरटीई अधिनियम 2009) में बदलाव किया है, जहां कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए असफल छात्रों को बनाए रखने के लिए नो-डिटेंशन नीति लागू नहीं की जाएगी। यह अपडेट 2019 के उन संशोधनों को हटाने के बाद दिसंबर 2024 के राजपत्र में था, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर हिरासत में रखने की अनुमति थी। यही कारण है कि एनईपी, जिसे शुरू में ड्रॉपआउट्स से लड़ने की नीति और पदोन्नति की गारंटी के लिए डिज़ाइन किया गया था, कम सीखने के परिणामों और स्कूल की गैरजिम्मेदारी के प्रसार के लिए आलोचना की गई है। नई मूल्यांकन नीतियों में असफल होने वाले छात्रों को कुछ और शिक्षण पूरा करने और दूसरी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए नीति परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बदलाव - नो डिटेंशन पॉलिसी हटाना

- **आरटीई अधिनियम में संशोधन:** इस साल की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और रक्षा मंत्रालय से संबद्ध स्कूलों सहित इस अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों की नो टेंशन पॉलिसी (एनडीपी) को समाप्त करके शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 को संशोधित किया। जनजातीय मामले.
- **नीति परिवर्तन:** केंद्र ने कक्षा 5 और 8 के लिए पहले जारी की गई "नो-डिटेंशन" नीति को भी खत्म कर दिया है, जिसका मतलब था कि यदि छात्र अंतिम परीक्षा में असफल होते हैं तो उन्हें रोका जा सकता है।
- **राजपत्र अधिसूचना:** शिक्षा मंत्रालय ने 16 दिसंबर 2024 को एक गजट संख्या के माध्यम से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2024 को राजपत्रित किया।

यह नो-डिटेंशन पॉलिसी क्या है?

- एनडीपी, जिसकी कल्पना आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 16 में की गई थी, ने प्रत्येक बच्चे के लिए एमई की गारंटी देने के लिए कक्षा 8 तक के छात्रों की हिरासत पर प्रतिबंध लगा दिया।
- नीति में बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए स्कूल की प्रगति को स्वचालित बनाने की मांग की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- **पुनः परीक्षा का अवसर:** असफल विद्यार्थियों के लिए, शिक्षक समूह के लिए आगे के पाठ आयोजित करेगा और उन्हें दो महीने के बाद दोबारा लेने का मौका प्रदान करेगा। यदि वे सफल नहीं होते हैं, तो उन्हें स्कूल में एक अतिरिक्त वर्ष के लिए रोका जाएगा।
- **शिक्षक और माता-पिता का मार्गदर्शन:** उन छात्रों को कक्षा शिक्षक या माता-पिता से सहायता मिलेगी, जबकि छात्रों को प्रशासित विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से अपनी कमियों का पता लगाना होगा।
- वर्तमान में, 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एनडीपी को लागू करना जारी रखे हुए हैं।

हटाने के कारण:

- **सीखने के परिणामों में गिरावट:** एक सार्वजनिक नीति के रूप में, इसने छात्रों को अपनी पढ़ाई पर कम गंभीरता देने के लिए प्रोत्साहित किया, वास्तविक अर्थों में यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उन्हें आसानी से अगली कक्षा में पदोन्नत किया जा सकता है।

- **जवाबदेही के मुद्दे:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय को खुश करते हुए, स्कूलों ने सीखने के परिणामों को बढ़ाने की दिशा में पर्याप्त जोर नहीं दिया।
- **राज्यों की मांग:** कई राज्यों ने प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ाने के प्रयास में एनडीपी के विस्थापन की आवश्यकता पर जोर दिया।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति संरेखण:** यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ समन्वयित है, जो बेहतर शिक्षण मानकों पर जोर देती है।

निष्कर्ष:

परिवर्तन नीति भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए अच्छी है क्योंकि यह प्रणाली को अधिक जिम्मेदार और शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के उद्देश्य पर केन्द्रित बनाने का प्रयास करती है। यह सब लुप्तप्राय छात्रों की मदद के लिए आवश्यक सहायक उपायों और शर्तों पर निर्भर करेगा।

श्रेणी: विज्ञान और तकनीक

मिशन मौसम - भारत के लिए मौसम और जलवायु इंटेलिजेंस का निर्माण

मोदी सरकार 3.0 के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मिशन मौसम मौसम के साथ-साथ जलवायु से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से निपटने में सुधार पर केंद्रित है। सितंबर 2024 में ₹2,000 करोड़ की दो वर्षों के लिए स्वीकृत एक केंद्रीकृत योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कृषि, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण भारत में सभी क्षेत्रों में मौसम पूर्वानुमान और जलवायु सेवाओं को बढ़ाना है। मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप, यह चाहता है

भारत को 'मौसम के लिए तैयार' और 'जलवायु स्मार्ट' देश में बदलना और अधिक विशिष्ट और समय पर पूर्वानुमान लाने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत हाई-डेट रेंज मॉडल और सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम को शामिल करेगा।

इस पहल में शामिल प्रमुख संगठन हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), राष्ट्रीय मध्यम-श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF), और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), INCOIS और NIOT जैसे संबद्ध निकायों के समर्थन से। मौसम और जलवायु अध्ययन में भारत को एक प्रमुख ज्ञान भागीदार के रूप में स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ भी शामिल हैं।

अवलोकन:

- भारतीय मौसम और जलवायु सेवाओं में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर, 2024 को मिशन मौसम को मंजूरी दे दी।
- इसके पास पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के तहत दो वर्षों के लिए ₹2,000 करोड़ की फंडिंग भी है।

मुख्य उद्देश्य:

- और देखें **पूर्वानुमान बढ़ाना** विभिन्न समय क्षितिजों के लिए (अल्पकालिक, मध्यम अवधि, मौसमी)।
- उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले मॉडलों के आधार पर मानसून अवधि में पूर्वानुमान में सुधार करें।
- उन्नत तकनीक की मदद से अवलोकन नेटवर्क को बढ़ाएं
- **पूर्वोत्तर पर ध्यान दें,** उदाहरण के लिए, विशिष्ट प्रकार की मौसम प्रणालियों और पिन किए गए बिंदु पूर्वानुमानों के साथ आगामी बाढ़ और भूस्खलन पर प्रभावी ढंग से हमला करना।

चुनौतियां

- भौगोलिक विविधताओं का मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों की अलग-अलग मॉडल ज़रूरतें हैं।
- दो कारक भविष्यवाणियों का परीक्षण करते हैं: इनमें तेजी से जलवायु परिवर्तन शामिल है।
- ग्रामीण केंद्रों में बुनियादी ढांचे की कमी और लोगों में जागरूकता का निम्न स्तर।

निष्कर्ष

पेपर के अनुसार, मिशन मौसम भारत की जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। प्रौद्योगिकी और एकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, भविष्यवाणी में सुधार करने और समग्र रूप से आपदा प्रबंधन को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे एक नए बेहतर जलवायु-स्मार्ट भविष्य के प्रावधान में मदद मिलती है।